

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक...207/...शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./08, रायपुर दिनांक 08 अक्टूबर, 2008

कार्यालयीन आदेश

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी Unified Schedule of rates for construction of tube wells & Allied work (USOR 17 May 2002 संशोधनों सहित) विभागीय आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 1597/सचिव/लोक स्वा.यां./04 दिनांक 01.10.2004 द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील किया गया था।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश द्वारा उपरोक्त यू.एस.ओ.आर. को पूर्णतः संशोधित करते हुए नवीन यू.एस.ओ.आर. 25 जुलाई 2008 से लागू किया है जिससे वर्तमान लागू एस.ओ.आर. स्वमेव निष्प्रभावशील हो गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में 25 जुलाई 2008 से मध्यप्रदेश में उपरोक्त नवीन Unified schedule of rates for construction of tube wells and allied work को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ में अनुकूलन करते हुये प्रभावशील किया जाता है।

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्रमांक 6623.. / त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./08, रायपुर दिनांक 08 अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग. शासन, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंडल रायपुर/दुर्ग/जगदलपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/(वि./यां.) रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वा.यां. खण्ड..... की ओर सूचनार्थ।
6. लेखा/तकनीकी/एम.आई.एस.शाखा, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग रायपुर।
7. कार्यालयीन आदेश।

1783/T/5  
22/10/08

10/10/2008

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर